

(v)अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशिकाओं तथा अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन

निगम द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)पदेन जिला प्रबन्धक, अनुगम को उपयुक्त दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं जिसके अनुसार उनके द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों का चयन वित्त पोषण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किया जाता है।